प्राधिकारियों की सहायता से शीघ्र कारंवाई करे और पहले हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए उपयुक्त उपाय करें। इस संबंध में की गई प्रगति, केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य वक्फ बोर्डों से प्राप्त आवधिक रिपोर्ट के माध्यम से मानीटर की जा रही है। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को उनके अधिग्रहण के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों के बारे में पत्र लिख दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं, तथापि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के कुछ उपबन्धों के विरुद्ध मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार का एक विधेयक लाने का प्रस्ताव है।

(ग) केन्द्रीय सरकार को कब्रिस्तानों को हदबन्दी के लिए स्थानीय नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा पंचायतों द्वारा उठाई गई कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए इस संबंध में कोई कदम उठाने अथवा कोई कानून बनाने का प्रश्न नहीं उठता। राज्य सरकारों से स्थिति का पता लगाया जा रहा है तथा मामले पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच बड़ी रेलवे लाइन

496. डा० अबरार अहमद खान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य के बावजूद कि सवाई माधोपुर और जयपुर तथा उससे आगे तक बड़ी रेलवे लाइन बिछाने के संबंध में अंतिम सर्वेक्षण काफ़ी समय पहले हो चुका है, इस कार्य को अब तक भी आरंभ न किये जाने के क्या कारण हैं और इस रेलवे लाइन के कब तक बिछ जाने की आशा है ;

(ख) राजस्थान में इस समय निर्माणाधीन रेल पुलों तथा ऊपरी पुलों का ब्यौरा क्या है और उनका निर्माण-कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ;

(ग) क्या राजस्थान में रेल सेवाओं के विस्तार के लिए कोई नई योजनायें तैयार की जा रही हैं या कोई कदम उठाए जा रहे हैं तथा राजस्थान में सभी जिला मुख्यालयों को रेलवे लाइनों के साथ कब तक जोड़े जाने की आशा है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में इस समय बिछी हुई बड़ी लाइनों तथा मीटर लाइनों का ब्यौरा क्या है और उनमें से उन रेल लाइनों की संख्या कितनी है जो वर्ष 1950 के बाद बिछाई गई हैं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में रेल सेवाओं के विकास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राजधानी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस तथा सर्वोदय एक्सप्रेस गाड़ियों का सवाई माधोपुर, राजस्थान पर न रोका जाना

497. डा० अबरार अहमद खान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में सवाई माधोपुर जंक्शन पर बड़ी तथा छोटी दोनों ही लाइनों की सुविधायें हैं तथा यदि किसी को राजस्थान से बम्बई जाना हो तो उसे सवाई माधोपुर होकर जाना पड़ता है किंतु राजधानी एक्सप्रेस, सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस तथा सर्वोदय एक्सप्रेस इस स्टेशन पर नहीं रुकती हैं वहां उनका स्टाप नहीं है, यदि हां तो क्या सरकार उक्त गाड़ियों को सवाई माधोपुर में रोकने के लिए स्टाप की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सवाई माधोपुर पर रुकने वाली गाड़ियों का आरक्षण कोटा अपर्याप्त है, यदि हां, तो क्या सरकार सवाई माधोपुर पर आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का विचार रखती है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि छोटी लाइन की चार गाड़ियां जो सवाई माधोपुर से होकर गुजरती हैं डीजल इंजन द्वारा नहीं चलायी जाती है, यदि हां, तो इन गाड़ियों को कब तक डीजल इंजन उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज : (क) लम्बी दूरी के यू यात्रियों के समग्र हितों को ध्यान में रखते हुए सवाई माधोपुर में, राजधानी एक्सप्रेस, स्वोंदय एक्सप्रेस और हापा-जम्मूतवी सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस के ठहराव परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं समझे गए हैं।

(ख) सवाई माधोपुर में आरक्षण कोटे का सामान्यतः पूरा उपयोग किया जा रहा है परन्तु अन्य स्टेशनों पर भारी मांग के कारण इस स्टेशन के कोटे में वृद्धि करने के लिए कोई समायोजन करना संभव नहीं है।

(ग) डीजल इंजनों की कमी के कारण इन गाड़ियों में कर्षण का बदलाव करना कठिन है।

Allotment of accommodation to Government Employees on Ad-hoc basis

498. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what are the rules and procedures for the allotment of Gov-ernmei t accommodation from general pool to the Government officers/ employees on ad hoc basis ;

(b how many officers/employees have been allotted Government accommodation on ad hoc basis during 1989-90 stating whether these allotments are in accordance with the prescribed rules; and

(c) what are the details of the ad hoc allotments made from the general pool within three months before the general elections 1989 and the basis on which these ad hoc allotments were made ?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN) : (a) The ad hoc allotment of Government residential accommodation is made on the following grounds:—

(i) Medical grounds such as T.B./Cancer, Physically handicapped Governments servants.

(ii) Dependents of the deceased and the retired Government servants.

(iii) Personal staff of the Ministers, judges of the Supreme Court and Members of Planning Commission etc.

(iv) Key personnel of the Cabinet Secretariat.

(v) Ad hoc allotment is also made in relaxation of the rules under the provisions of the SR-317B-25, depending upon the merit of each case.

(b) During the year 1989-90, a total of 1937 officers/employees have been allotted Government accommodation on ad-hoc basis. These allotments were in accordance with the criteria given against (a) above.

(c) The details of the ad hoc allotments made from the general pool within three months before